



# जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम - मदाऊ, पोस्ट - भांकरोटा, जयपुर, (राज.) - 302026

वेबसाईट : [www.jrsanskrituniversity.ac.in](http://www.jrsanskrituniversity.ac.in)

ई-मेल - [jrsu@yahoo.co.in](mailto:jrsu@yahoo.co.in)

टेलीफैक्स: 0141 - 5132022

क्रमांक : प (274)जरारासंवि/शैक्ष./2022/

दिनांक :-

## कार्यालय आदेश

सत्र 2022-23 के लिए कर्मकाण्ड-पौरोहित्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन बाबत नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार महाविद्यालयों की सम्बद्धता के आवेदनों का निपटारा करने हेतु निरीक्षण बोर्ड एवं सम्बद्धता समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 31.01.2023 की अनुशंषा उपरान्त कार्यपरिषद् की स्वीकारता की शर्त पर सत्र 2022-23 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों/संस्थाओं को निम्नांकित शर्तों के अधधीन नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु विचार किया जा सकेगा :-

- संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा रु. 500/- के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉप पेपर (नोटराइज) पर पत्र जारी होने के 10 दिवस के अन्दर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे जिसमें संबंधित संस्था/महाविद्यालय निम्नानुसार शर्तों की पूर्ति कर समस्त दस्तावेज विश्वविद्यालय में जून 2023 तक जमा करवायेंगे:-
  - छात्रों की ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाओं का विवरण मय छात्र संख्या/शिक्षकवार सत्यापित विवरण संलग्न कर उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
  - कार्यरत शिक्षकों को UGC/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार वेतनमान दिया जायेगा।
  - राज्य सरकार, राजभवन सचिवालय एवं विश्वविद्यालय के नियमों एवं समय-समय पर प्रसारित निर्देशों को पूर्णतया मानने हेतु प्रतिबद्ध है।
  - महाविद्यालय/संस्था की वेबसाईट पर सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है एवं उसको प्रतिदिन अपडेट करेंगे।
  - विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर चाही गई वांछित सूचना हेतु पत्र इत्यादि विश्वविद्यालय वेबसाईट के माध्यम से देखकर निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करवा दी जावेगी।
  - संस्था/महाविद्यालय में नियमानुसार प्रयोगशालाएं एवं पुस्तकालय में संबंधित 1000 पुस्तकें उपलब्ध है।
  - जिन महाविद्यालयों/संस्थाओं में महाविद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम या स्वयं की भूमि/भवन नहीं है, संबंधित संस्था/महाविद्यालय द्वारा जून 2023 तक स्वयं की भूमि/भवन के साथ महाविद्यालय स्तर पाठ्यक्रम संचालन को प्रारम्भ एवं भूमि/भवन का नियमानुसार तैयार कर अभिलेखों सहित अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जावेगी। इसके अभाव में सत्र 2023-24 की अस्थायी सम्बद्धता अभिवृद्धि पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किये जाने पर हम पूर्णतया सहमत है एवं इस हेतु हमारे द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जावेगा।
- नियमानुसार एण्डोमेन्ट फण्ड रु. 1.25 लाख की संयुक्त FDR जो कि कुलसचिव, जरारासंवि, जयपुर एवं संबंधित संस्था/महाविद्यालय के सचिव/अध्यक्ष के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी की हुई हो, FDR की फोटोप्रति (स्वयं द्वारा सत्यापित, मुहर सहित) आदेश जारी होने से दस दिवस में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करानी होगी।

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	आवंटित सीट	विशेष शर्तें
1.	प्राच्य विद्यापीठ, शाहपुरा बाग, आमेर रोड़, जयपुर मो-	40	-

(राजधर मिश्र)  
कुलसचिव



# जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

ग्राम - मदाऊ, पोस्ट - भांकरोटा, जयपुर, (राज.) - 302026

वेबसाईट : [www.jrsanskrituniversity.ac.in](http://www.jrsanskrituniversity.ac.in) ई-मेल - [jrsu@yahoo.co.in](mailto:jrsu@yahoo.co.in) टेलीफैक्स: 0141 - 5132022

क्रमांक : प (274)जरारासंवि/शैक्ष./2022/8195-38

दिनांक :- 8/2/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदया, जरारासंवि, जयपुर
2. प्रभारी वेबसाईट, जरारासंवि, जयपुर को भेजकर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करावें।
3. संबंधित महाविद्यालय .....
4. रक्षित पत्रावली

  
कुलसचिव